लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 301
दिनांक 04 फरवरी, 2025 / 15 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

चंडीगढ़ के लिए बजटीय आंवटन

†301. श्री मनीश तिवारीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2019 से 2024 तक केन्द्रीय बजट में चंडीगढ़ के लिए बजटीय आबंटन का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान चंड़ीगढ़ प्रशासन द्वारा वर्षवार, योजनावार और शीर्षवार कुल कितना व्यय किया गया;

(ग) शहर के अधिकांश कार्यों के लिए जिम्मेदार होने के बावजूद चंडीगढ़ नगर निगम को केवल 560 करोड़ रुपये का औसत वार्षिक आबंटन प्राप्त होने के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली वित्त आयोग के राजस्व-साझाकरण फार्मूले को लागू न करने का क्या औचित्य है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि कुल बजट का 30 प्रतिशत स्थानीय निकायों, अर्थात नगर निगम को आबंटित किया जाना चाहिए ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के संबंध में आवंटन और व्यय का विवरण इस प्रकार है: -

		रुपये (करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	**आवंटन**	**व्यय**
2019-20	4868.99	4829.55
2020-21	4644.91	4643.07
2021-22	4941.25	4940.30
2022-23	5779.12	5778.80
2023-24	6678.45	6639.25

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में, वर्षवार बजटीय आबंटन तथा उस में से योजनावार और शीर्षवार व्यय का ब्यौरा विस्तृत अनुदान मांग (डीडीजी) में नियमानुसार उल्लिखित किया जाता है, जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 301, दिनांक 04.02.2025

(ग) और (घ): चंडीगढ़ नगर निगम को वार्षिक आवंटन, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के समग्र बजट और नगर निगम के आकलित राजस्व प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

****